FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0136 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/05/2026 12:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 11/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 09:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/05/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/05/2026 12:33:54 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** HINDAUN CITY JILA KAROLI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAGDISH BHARDWAJ

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 10/04/1969 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MADHU VAN VIHAR, BYANA BHARTPUR, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MADHU VAN VIHAR, BYANA BHARTPUR, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHENDRA SINGH		पिता:HORILAL	1. GAON POST GAONDI MEENA,HINDAUN,HINDAUN,KARAULI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,70,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,70,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 10.04.2026 को ब्यूरो मुख्यालय के उच्चाधिकारियों को विश्वस्त सूत्रों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि श्री महेन्द्र सिंह नगर पालिका अंता जिला बारां में सहायक अभियन्ता के पद पर पदस्थापित है उसकी आम छवि भ्रष्ट है एवं नगर पालिका बारां में सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज ईओ नगर पालिका अंता के पदीय कर्तव्यों में भ्रष्ट तरीका अपनाकर बडी मात्रा में अवैध राशि एकत्रित कर घर जाता है अभी उसके द्वारा नगर पालिका के कार्यो से सम्बन्धित करीब 3-4 लाख रुपये एकत्रित किये है जो उक्त राशि को अंता से लेकर अपने घर हिण्डौन सिटी जायेगा ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक द्वारा मुखबीर से संदिग्ध अधिकारी का वर्तमान फोटो जरिये व्हाटस प्राप्त किया तथा ब्यूरो मुख्यालय द्वारा मुखबिर से लगातार सम्पर्क बनाये रखने एवं संदिग्ध के मोबाइल की लोकेशन लेकर निगरानी बनाये रखने के निर्देश प्राप्त होने पर ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही की जाना वांछित होने से यदि सक्षम न्यायालय से कार की तलाशी हेतु वारण्ट प्राप्त किया जाता है तो उसमें काफी समय लगने की संभावना है और जब तक संदिग्ध अवैध राशि लेकर निकल जाएगा अतः बीएनएसएस 2023 के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए कार्यवाही हेतु जरिये तहरीर दो स्वंतन्त्र गंवाह श्री मनीष कुमार सिंघल सूचना सहायक श्री सत्यप्रकाश कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी जिला करौली को तलब कर कार्यवाही से अवगत कराया एवं संदिग्ध की फोटो दिखाई गई तत्पश्चात मुखबिर से लगातार सम्पर्क कर संदिग्ध सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता की लोकेशन के बारे वार्ता करते हुये मुखबिर द्वारा बताया गया कि किन्ही कारणों से दिनांक 10.04.2026 को संदिग्ध सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता से रवाना नहीं हुआ जैसे ही अंता से रवाना होगा तो आपको सूचित कर दूंगा। इसके बाद दिनांक 11.04.2026 को समय 06.16 एएम पर जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि संदिग्ध टैक्सी कार नम्बर आरजे 28 टीए 1853 से कोटा की तरफ रवाना हो गया है जिस पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है कोटा से जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से या कार से भी आ सकता है जिस पर संदिग्ध की मोबाईल लोकेशन लेकर लगातार निगरानी बनाये रखते हुये जैसे ही आरोपी की लोकेशन गंगापुर सिटी मिलने पर मन पुलिस निरीक्षक हमराही जाप्ता श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 श्री समय सिंह हैड कानि 45 श्री बृजेश कानि 461 श्री विष्णु सिंह कानि 135 एवं मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीष कुमार सिंघल सूचना सहायक श्री सत्यप्रकाश कनिष्ठ लेखाकार मय लेपटॉप प्रिन्टर सरकारी विडियोकैमरा मय प्रिन्टर मय खाली पैन ड्राईव मय ट्रेप बॉक्स एवं अनुसंधान सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएन 6724 के एसीबी कार्यालय करौली से समय 07.15 एएम पर रवाना होकर मुताबिक संदिग्ध लोकेशन तत्समय ऐसा आभास होने की आंशका होने पर कि संदिग्ध कार से गंगापुर-हिण्डौन रोड से आने की संभावना होने पर खेडा तिराया पर रोड की साईड में वाहन को खडा कर संदिग्ध के आने का इंतजार करने लगा चूंकि लोकेशन के मुताबिक उक्त रुट से नहीं आकर संदिग्ध की लोकेशन हिण्डौन सिटी रेल्वे स्टेशन की मिलने पर तुरन्त मय हमराही स्वतन्त्र गवाहान व टीम के खेडा से रवाना होकर बयाना मोड हिण्डौन सिटी पहुंचा जहां रोड के साईड मे गाडी को खडा कर संदिग्ध का लोकेशन के मुताबिक आने इंतजार करने लगा तो बयाना मोड से चुंगी तरफ आते जाते वाहनों पर निगरानी रखने के दौरान एक ई-रिक्शा बरंग लाल में चालक के अलावा पीछे की आमने-सामने की शीट पर दो व्यक्ति नजर आये जिनमें आगे की तरफ की शीट पर हुलिया मुताबिक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया मौका स्थिति के अनुसार ई-रिक्शा का पीछा करते हुये कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हिण्डौन सिटी के सामने सरकारी गाडी मे से ई-रिक्शा चालक को हाथ का ईशारा देकर साईड में रुकवाया जाकर संदिग्ध को अपना परिचय पत्र दिखाया जाकर नाम व पद से अवगत कराते हुये संदिग्ध का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र सिंह होना बताया एवं पद पूछने पर वर्तमान में नगर पालिका अंता जिला बारां में सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता के पद पर कार्यरत होना बताया उसके पास में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा तो उन्होने अपना नाम जयसिंह जाटव सीनियर मैनेजर करंसी चेस्ट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आईए कोटा होना बताया श्री जय सिंह जाटव का सरकारी बैंक का अधिकारी होने के कारण वक्त चैंकिग साथ में होने से इनको कार्यवाही में साथ लिया जाना आवश्यक है मौके की कार्यवाही के महत्वपूर्ण गवाह है इसके बाद संदिग्ध श्री महेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं अतिरिक्त चार्ज ईओ नगर पालिका अंता को कार्यवाही से अवगत कराते हुये उनके पास बैग के बारे मे पूछा तो उसने अपने पास से एक बैग बंरग काला एवं अंगे्रजी में FUR JADEN लिखा हुआ को स्वतन्त्र

गवाह के सामने संदिग्ध द्वारा ही मौके पर खुलवाया जाकर बैग के अन्दर का सामान ऑटो की शीट पर रखने की कहने पर संदिग्ध द्वारा बैग के सबसे उपर वाले चैन में मोबाईल चार्जर एवं उससे नीचे वाली चैन में दवाईयां एवं तीसरी चैन में एक जोडी कपडे अण्डरवियर के अलावा एक पोलीथीन की थैली बरंग लाल एव सफेद जिस पर अंगेजी में DOLLAR लिखा हुआ के अन्दर मुडी हुई अवस्था में पांच-पांच सौ रुपये के नोटो की 7 गड्डियां मिली जिनके बारे मे पूछने पर संदिग्ध अधिकारी सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नहीं देने एवं मौके पर आवागमन भीड इकटठी होने एवं कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान नहीं होने से उक्त संदिग्ध राशि को ज्यों कि त्यों स्थिति में संदिग्ध द्वारा ही रखवाया जाकर श्री सुमेर सिंह हैड कानि70 श्री समय सिंह हैड कानि 45 श्री विष्णु कानि 135 को हिदायत कर संदिग्ध को ई-रिक्शा सहित सुरक्षा की दृष्टि एवं कार्यवाही हेतु नजदीकी पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी में ले जाने कि हिदायत कर आगे आगे रवाना कर एवं सरकारी वाहन में मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह एवं श्री बृजेश कानि 461 मय चालक श्री बृजेश चालक कानि562 के संदिग्ध के पीछे पीछे रवाना होकर कोतवाली थाना में समय 09.35 एएम पर लाया गया जहां थानाधिकारी श्री महेन्द्र सिंह को कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने की कहने पर सम्बन्धित थानाधिकारी द्वारा स्वागत कक्ष को कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने की बताया जाने पर संदिग्ध को स्वागत कक्ष में बिठाकर उनका नाम पता व पद पूछा तो संदिग्ध द्वारा अपना नाम महेन्द्र सिंह पुत्र पुत्र श्री होरी लाल जाटव उम्र 36 वर्ष जाति जाटव निवासी आनन्द विहार कॉलोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल सहायक अभियन्ता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता जिला बारां होना बताया एवं आज 2 दिन के अवकाश पर घर आना बताया संदिग्ध के साथ ई-रिक्शा में सामने की शीट पर बैठे व्यक्ति का सरकारी बैंक का कर्मचारी होने से उसकी कार्यवाही में आवश्यकता पडने की संभावना होने से हमराह साथ लाया जाकर संदिग्ध अधिकारी सहायक अभियन्ता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी के पास मिली अवैध राशि को स्वतन्त्र गवाह से निकलवाया जाकर दोनों स्वतन्त्र गवाह से गिनवाया गया तो 7 गड्डियों में 500-500 रुपये के 700 नोट कुल राशि 350000रुपये होना पाये गये इतनी बडी राशि अपने कब्जे में रखने एवं लाने ले जाने के बारे में पूछने पर संदिग्ध अधिकारी सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि उक्त राशि मैने मेरे मिलने वाले श्री गोविन्द सिंह चौहान जो धौलपुर-बाडी का रहने वाला है एवं मेरा परिचित है एवं सिविल कॉन्टेक्टर एवं विजनेस मैन है से मैने उक्त राशि उधार में ली है एवं पूछने पर श्री गोविन्द्र सिंह चौहान का मोबाईल नम्बर अपनी मोबाईल मे फीड होना बताया संदिग्ध राशि की पुष्टि करने के लिये मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नं. से मोबाईल नं. पर कॉल कर अपना परिचय देकर आज-कल में संदिग्ध श्री महेन्द्र सिंह सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता को उधार पैसे देने के बारे में पूछा तो श्री गोविन्द सिंह चौहान द्वारा संदिग्ध अधिकारी सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी को उधार पैसे देने से इनकार किया एवं पुनः पूछने पर पहचानने से भी मना कर दिया इसके बाद संदिग्ध को पुनः तसल्ली देकर संदिग्ध राशि के बारे मे पूछा गया कि उक्त राशि कहां से प्राप्त की किन्तु संदिग्ध सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता द्वारा श्री गोविन्द सिंह चौहान से ही उधार राशि प्राप्त करना बताया उक्त राशि टेबल पर सुरक्षित रखवाई गई इसके बाद दोनो स्वतन्त्र गवाहों से संदिग्ध अधिकारी सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी के पहने हुये पेन्ट की तलाशी लिवाई गई तो सामने की दांहिनी जेब में मुडी हुई अवस्था में 500-500 रुपये के नोटो की मुडी हुई गड्डी मिली जिसको स्वतन्त्र गवाह से श्री सत्यप्रकाश कनिष्ठ लेखाकार से गिनवाया गया तो 500-500 के 40 नोट कुल 20000 रूपये होना पाये गये उक्त 20000 रूपये के बारे में संदिग्ध अधिकारी सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी ने पूछने पर बताया कि उक्त राशि मैने नगर पालिका अन्ता जिला बारा में पदस्थापित साथी कर्मचारी श्री दौलत फायरमैन से उधार ली है जिसकी पुष्टि करने हेतु उक्त सहायक अभियन्ता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी के मोबाईल से श्री दौलत का मोबाईल नम्बर लिया जाकर मन पुलिस निरीक्षक ने मोबाईल न. से मोबाईल नम्बर पर कॉल कर लाउड स्पीकर पर वार्ता की एवं संदिग्ध को 20000 रुपये राशि उधार लेन-देन के बारे मे पूछा गया तो उक्त ने उधार में पैसे लेन-देन करने से मना किया पुनः सहायक अभियन्ता से उक्त 20000 रूपये के बारे में पूछने पर उपर्युक्त बात ही बताई इसके अलावा जामा तलाशी में एक एप्पल मोबाईल मॉडल आईफोन 14 प्रो जिसमें एक सिम एयरटेल कम्पनी की जिसके मोबाइल नम्बर एवं एक सिम जियो कम्पनी की जिसके मोबाइल नम्बर होना बताया उक्त के अलावा जामा तलाशी में मिले 690 रुपये के बारे में पूछने पर संदिग्ध द्वारा खर्चा पानी के होना बताया इसके अलावा संदिग्ध के पास एक प्लास्टिक का कटटा मिला जिसको खोलकर चैक किया गया तो उसमे लहसुन भरा हुआ मिला इसके अलावा अन्य कोई वस्तु एवं नकद राशि नहीं मिली इसके अलावा जामा तलाशी में कोई आपत्तिजनक दस्तावेज/राशि इत्यादि नहीं मिले। इस प्रकार आकस्मिक चैकिंग पर संदिग्ध अधिकारी सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता श्री महेन्द्र सिंह की बैंग तालाशी व जामा तलाशी में कुल 370000 रूपये संदिग्ध मिले उक्त राशि के संबंध में संदिग्ध अधिकारी सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह से पुनः पूछा गया कि यह राशि आपके पास कहां से व कैसे आयी तो संदिग्ध अधिकारी घबरा गया तथा कुछ देर सोचने के पश्चात उसने बताया कि उक्त राशि में से 370000 रुपये मेरे मिलने

वाले श्री गोविन्द सिंह चौहान जो धौलपुर-बाडी का रहने वाला जो अभी वर्तमान में व्यवसाय करता है मेरी पोस्टिंग 2024 में नगर पालिका अंता जिला बांरा में हुई थी पोस्टिंग के दौरान एक दिन मेरी मुलाकात श्री गोविन्द सिंह चौहान से हुई एक क्षेत्र का होने से हम दोनो एक दूसरे के परिचित हो गये इस प्रकार में गोविन्द्र सिंह चौहान को भली भांति जानता हूं मेरी शादी 2004 में ग्राम घौसला में हुई थी मेरे दो साले है बडे का नाम नरेश एवं छोटे साले का नाम मनोज है मेरे साले मनोज की शादी दिनांक 20 अप्रेल 2026 को है तथा शादी के पैसे के लिये मेरे से मनोज ने कई दिन पहले कहा तो मेने कहा मेरे पास अभी कैश नहीं है मेरे किसी मिलने वाले से बात करके व्यवस्था करवा दूंगा इसके बाद में मंगलवार दिनांक 07.04.2026 को अंता ड्यूटी पर गया था इसी दौरान मै श्री गोविन्द्र सिंह चौहान से मिला यह ठेकेदारी का काम करता है मेने उससे कहा कि मेरे साले की शादी इसी महिने 20 अप्रेल की है उसे पैसे की जरुरत है मेरे पास है नहीं आप मुझे 3.50-4 लाख रुपये उधार दे दे जिनको मैं मेरे साले मनोज को दे दूंगा बाद में जैसे ही वो वापस करेगा मै आपको वापस कर दूंगा जिस पर आज दिनांक 11.04.2026 सुबह श्री गोविन्द्र सिंह चौहान के घर पर गया मेने उससे पैसे उधार के मांगे जिस पर ठेकेदार जी ने कहा अभी मेरे पास 350000 रुपये ही है आप तो इन्हे ले जाओ इसके बाद मै ये पैसे लेकर सरकारी गाडी से अंता से रवाना होकर कोटा आया कोटा से जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन मे बैठकर हिण्डौन सिटी आ गया जहां रेल्वे स्टेशन से ई-रिक्शा में बैठकर आनन्द विहार कोलोनी में स्थित घर पर जा रहा था तभी बयाना रोड पर स्थित कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हिण्डौन सिटी के सामने आप द्वारा रोककर चैंकिंग की कार्यवाही की, मेरे साले की शादी का कार्ड मेरे मोबाइल मे है जिसको में आपको पेश कर रहा हूं इस पर संदिग्ध के मोबाईल से उसके साले के शादी के कार्ड को व्हाटसएप कर प्रिन्ट निकलवाया गया जिस पर संदिग्ध एवं गवाहो के साईन करवाये गये इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह युक्तियुक्त एवं संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका इससे सूत्र से प्राप्त सूचना की पुष्टि होने पर उक्त बरामद संदिग्ध राशि कुल 370000 रूपये को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया उपरोक्त अवैध राशि के अलावा संदिग्ध के पास 690 रुपये जो खर्चा पानी के होना बताये जिनको संदिग्ध को वापस किया गया एवं जामा तलाशी में मिला मोबाईल भी संदिग्ध को लौटाया गया संदिग्ध से पहचान पत्र पेश करने की कहने पर उसने अपने मोबाइल से आधार कार्ड व्हाटसएप कर प्रिन्ट निकलवाई जाकर संदिग्ध के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही की विडियोंग्राफी श्री बृजेश कानि 461 से सरकारी विडियो कैमरा से करवायी गई श्री महेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता के साथ ई-रिक्शा में बैठे श्री जय सिंह जाटव से पूरा नाम पता व पद पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री जय सिंह जाटव पुत्र श्री मुरारी लाल जाति जाटव उम्र 57 वर्ष निवासी1व 4 नजदीक अशोक पार्क विज्ञान नगर कोटा हाल सिनीयर मैनेजर कंरेजी चेस्ट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आईए कोटा होना बताते हुये बताया कि मैं मूल रूप से पानी की टंकी के पास जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी का रहने वाला हूं यहां पर मेरी माता जी रहती है जिनसे में मिलने के लिए आता-जाता रहता हू आज भी मैं मेरी माता जी से मिलने के लिए कोटा से जन शताब्दी ट्रेन से हिण्डौन आया था मैं आज सुबह करीब 9 बजे बयाना मोड पर घर जाने के लिए खड़ा था तो एक ई-रिक्शा जो बयाना मोड से चुंगी जा रहा था जिसमें एक व्यक्ति बैठा था जिनको मैं नही जानता था आपके द्वारा ई-रिक्शा रूकवाने पर मुझे इनके नाम व पद का पता चला। आकस्मिक चैंकिग के दौराने तलाशी/जामा तलाशी में पूर्ण रूप से शिष्टाचार का बर्ताव रखा गया किसी भी सामान के साथ छेड़खानी व तोड़ फोड़ नहीं की गई समस्त सामान दुरूस्त हालत में यथा स्थिति में रखा गया तलाशी/जामा तलाशी में मिली संदिग्ध नकद राशि 370000 को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर अनशील्ड एक कपडें की थैली में रखा गया इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज वस्तु आभूषण नही मिले एवं नां ही कब्जा एसीबी लिया गया उपरोक्त कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बोल-बोलकर साथ में लाये लेपटॉप पर श्री विष्णु सिंह कानि.135 से टाईप कराया गया संदिग्ध सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता को ब्यूरो से कोई शिकायत नहीं है संदिग्ध अधिकारी को उनका उक्त मोबाइल व काला बैग मय इस्तेमाली कपडे एवं एक प्लास्टिक का कट्टा जिसमें लहसुन है को संभलाया गया आकस्मिक चैकिंग की विडियोंग्राफी ब्यूरो के विभागीय विडियों कैमरा से श्री बृजेश कुमार कानि. 461 से करवाई गई विडियोंग्राफी को श्री बृजेश कुमार कानि. 461 से सरकारी लेपटोप एसर कम्पनी की मदद से चलाकर चैक कर गवाहान को दिखाकर विडियोंग्राफी को लैपटॉप की सहायता से बारी बारी से तीन नये पैन ड्राईव मैक मॉडल सैंनडिस्क कम्पनी16 जी.बी. में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान तीनो पैन ड्राईव पर मार्क AK-1, AK-2 o AK-3 अंकित कराकर पैन ड्राईव मार्क AK-1, AK-2 को कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैलियों के उपर मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर बजह सबूत जरिये फर्द कब्जा एसीबी लिया गया तथा जांच हेतु एक पैन ड्राईव मार्क AK-3 को अनशील्ड रखा गया जिसकी फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जप्त राशि जमा मालखाना करवाई गई तथा स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। इस प्रकार आकस्मिक चैकिंग पर संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं अति. चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता जिला बारां के पास मिली राशि 370000-रूपये अवैध पाई गई। उक्त राशि अपने कब्जे में रखने के सम्बन्ध में संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह द्वारा कोई सन्तोषप्रद जबाव नही दिया और ना ही कोई रिकार्ड पेश किया जाने पर उक्त राषि जप्त कर कब्जा एसीबी ली गई है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अन्ता जिला बारां के पास दौराने आकस्मिक चैंकिंग मिली राषि 370000 रूपये नगर पालिका

अन्ता में स्वयं के पदीय कर्तव्यों से सम्बन्धित राजकार्यो को करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से एकत्रित की गई राशि का एक दिवसीय चैक पीरिएड मानते हुये अवैध रूप से एक दिवसीय आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना प्रथम दृष्टया पाया गया है ।अतः श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री होरीलाल जाति जाटव उम्र 36 वर्ष निवासी गांव पोस्ट गावडी मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली हाल आवास आनन्द बिहार कॉलोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल सहायक अभियन्ता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिषाषी अधिकारी नगर पालिका अंता जिला बांरा (राजस्थान) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (बी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। (जगदीश भारद्वाज) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली। ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री होरीलाल जाति जाटव उम्र 36 वर्ष निवासी गांव पोस्ट गावडी मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली हाल आवास आनन्द बिहार कॉलोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल सहायक अभियन्ता एवं अतिरिक्त चार्ज अधिषाषी अधिकारी नगर पालिका अंता जिला बांरा (राजस्थान) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञानचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धोलपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 1208 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 844-47 दिनांक 26.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ghyan Chand Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/05/2026 12:36:21

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)